## JOINT INTERPRETATIVE STATEMENT

to

## THE AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF MAURITIUS, SIGNED ON 4<sup>TH</sup> SEPTEMBER 1998 (The Agreement)

The Government of the Republic of India and the Government of the Republic of Mauritius (hereinafter referred to as the "Contracting Parties");

Reaffirm the right of the Contracting Parties to regulate investments in their territory in accordance with their law and policy objectives;

Confirm that this interpretative statement shall be read simultaneously with the Agreement and shall form an integral and binding part of the Agreement and shall be co-terminus with the Agreement; and

Acknowledge that the protection under the Agreement shall not be extended to investors or investments that have, concluded or pending, judicial or administrative proceedings against them at any stage, where fraud, money-laundering, round-tripping or corruption or similar illegal mechanisms have been alleged or being investigated into;

Confirm that the term "investor" under the Agreement, does not include persons or entities that

- (a) are owned or controlled, directly or indirectly, by persons of a non-Contracting Party, that have been alleged to have indulged in fraud, money-laundering, or corruption or similar illegal mechanisms; or
- (b) are owned or controlled, directly or indirectly, by persons of the other Contracting Party; or
- (c) do not have substantial business activities in the territory of the Contracting Party to which the investor belongs.

Acknowledge and accept that arbitral tribunal constituted under the Agreement shall not have the jurisdiction to review the merits of the decision made by a judicial authority of the Parties.

Confirm that Arbitral tribunal can only award monetary compensation for a breach of the obligations under the Agreement. Such compensation shall not be greater than the actual loss (excluding incidental, consequential and special amounts, such as future profits, as well as intangible asset losses and assets).

don the

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, duly authorized by their respective Governments, have signed this Joint Interpretative Statement.

Signed at Port Louis, Mauritius on this eleventh day of July 2022, in two originals, each in the English and Hindi languages, all texts being equally authentic. In the case of any divergence between the texts, the English text shall prevail.

FOR THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDIA

K. Nandini Singla

High Commissioner
High Commission of India, Port Louis

FOR THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF MAURITIUS

Dharam Dev Manraj, GOSK

Financial Secretary
Ministry of Finance, Economic Planning and Development

## भारत गणराज्य की सरकार और मॉरीशस गणराज्य की सरकार के बीच दिनांक 4 सितंबर, 1998 को हस्ताक्षरित समझौते के संबंध में संयुक्त व्याख्यात्मक वक्तव्य

भारत गणराज्य की सरकार और मॉरीशस गणराज्य की सरकार (जिन्हें इसमें इसके बाद "संविदाकारी पक्ष" कहा गया है);

संविदाकारी पक्ष अपने-अपने कानून और नीतिगत उद्देश्यों के अनुसार, अपने-अपने क्षेत्राधिकार में निवेशों को विनियमित करने के अधिकार को *दोहराते* हैं;

इस बात की पुष्टि करते हैं कि यह व्याख्यात्मक वक्तव्य इस समझौते के साथ पढ़ा जाएगा और इस समझौते का एक अभिन्न और बाध्यकारी हिस्सा होगा तथा इस समझौते के साथ समाप्त हो जाएगा; तथा

यह स्वीकार करते हैं कि इस समझौते के तहत संरक्षण निवेशकों या निवेशों के लिए प्रदान नहीं किया जाएगा जिनके खिलाफ किसी भी स्तर पर न्यायिक या प्रशासनिक कार्यवाही संपन्न या लंबित है, जहां धोखाधड़ी, धन-शोधन, राउंड-ट्रिपिंग या भ्रष्टाचार या इसी तरह की अवैध प्रक्रियाएं आरोपित या जांच की जा रही है;

इस बात की पुष्टि करते हैं कि इस समझौते के तहत "निवेशक" शब्द में व्यक्ति अथवा संस्थाएं शामिल नहीं हैं जो

- (क) किसी गैर-संविदाकारी पक्ष के व्यक्तियों द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से स्वामित्वाधीन या नियंत्रित हैं, जिन पर धोखाधड़ी, धन-शोधन या भ्रष्टाचार या इसी तरह की अवैध प्रक्रियाओं में शामिल होने का आरोप लगाया गया है; या
- (ख) अन्य संविदाकारी पक्ष के व्यक्तियों द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से स्वामित्वाधीन या नियंत्रित हैं; अथवा
- (ग) संविदाकारी पक्ष के क्षेत्राधिकार जिससे निवेशक संबंधित है, में पर्याप्त व्यावसायिक कार्यकलाप नहीं हैं।

यह मानते और स्वीकार करते हुए कि इस समझौते के तहत गठित मध्यस्थ न्यायाधिकरण को पक्षकारों के किसी न्यायिक प्राधिकरण द्वारा दिए गए निर्णय के गुण-दोषों की समीक्षा करने का क्षेत्राधिकार नहीं होगा।

In Me

इस बात की पुष्टि करते हुए कि मध्यस्थ न्यायाधिकरण इस समझौते के तहत बाध्यताओं के किसी उल्लंघन के संबंध में केवल मौद्रिक क्षतिपूर्ति का अधिनिर्णय कर सकते हैं। इस तरह की क्षतिपूर्ति वास्तविक नुकसान (आकिस्मक, परिणामी और विशेष राशि को छोड़कर, जैसे कि भविष्य के लाभ, साथ ही अमूर्त आस्ति हानि और आस्तियों) से अधिक नहीं होगी।

इसके साक्ष्य में, अधोहस्ताक्षरी, अपनी-अपनी संबंधित सरकारों द्वारा विधिवत रूप से प्राधिकृत, ने इस संयुक्त व्याख्यात्मक वक्तव्य पर हस्ताक्षर किए हैं।

आज दिनांक जुलाई माह के ग्यारहवें दिन ईस्वी सन् दो हजार बाईस को पोर्टलुई, मॉरीशस में अंग्रेज़ी और हिंदी भाषाओं प्रत्येक के दो मूल पाठों में संपन्न, सभी पाठ समान रूप से प्रामाणिक हैं। पाठों के बीच किसी मतभेद के मामले में, अंग्रेज़ी पाठ सर्वापिर होगा।

भारत गणराज्य की सरकार की ओर से

के. नंदिनी सिंग्ला

भारतीय उच्चायुक्त

भारतीय उच्चायोग, पोर्ट लुई

मॉरीशस गणराज्य की सरकार की ओर से

धरम देव मनराज, जी ओ एस के

वितीय सचिव

वित्त, आर्थिक योजना एवं विकास मंत्रालय